

वर्ष 2019-20 के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी

GROUP MEDICLAIM POLICY FOR RETIRED EMPLOYEES FOR THE YEAR 2019-20

1. वर्ष 2019-20 के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी में. युनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड, एर्णाकुलम के साथ नवीकृत किया गया है। पॉलिसी के अनुसार, योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित संरक्षण/ लाभ उपलब्ध है :

The Group Mediclaim Policy for Retired Employees for the year 2019-20 has been renewed with M/s.United India Insurance Company Limited., Ernakulam. As per the policy, the following cover/benefits are available to the eligible retired employees:

- i. बाह्य रोगी (ओपी) चिकित्सा: फ्लोटर आधार पर 6 व्यक्तियों के एक परिवार यूनिट के लिए एक वर्ष में ₹ 20,000/-तक।
Out-patient (OP) treatment: Upto ₹20,000/- in a year for a family unit of 6 persons on floater basis
- ii. अंतरंग रोगी (आईपी) चिकित्सा: फ्लोटर आधार पर 6 व्यक्तियों के एक परिवार यूनिट के लिए एक वर्ष में ₹ 2,00,000/-तक।
In-patient (IP) treatment: Upto ₹2,00,000/- in a year for a family unit of 6 persons on floater basis
- iii. सामान्य गंभीर बीमारी ओपी प्रति व्यक्ति के लिए एक वर्ष में ₹1,50,000/- तक।
General critical illness OP: Upto ₹1,50,000/- in a year per person
- iv. सामान्य गंभीर बीमारी आईपी प्रति व्यक्ति के लिए एक वर्ष में ₹6,00,000/- तक।
General critical illness IP: Upto ₹6,00,000/- in a year per person
- v. अतिरिक्त गंभीर बीमारी ओपी (निर्दिष्ट बीमारी के लिए) : प्रति व्यक्ति को वर्ष में ₹50,000/- तक, जो वर्ष में प्रथम 5 व्यक्तियों के लिए सीमित हैं।
Additional critical illness OP (for specified illness): ₹50,000/- in a year per person limited to the first 5 persons in a year
- vi. अतिरिक्त गंभीर बीमारी आईपी (निर्दिष्ट बीमारी के लिए) : प्रति व्यक्ति को वर्ष में ₹4,00,000/- तक, जो वर्ष में प्रथम 5 व्यक्तियों के लिए सीमित हैं।
Additional critical illness IP (for specified illness): ₹4,00,000/- in a year per person limited to the first 5 persons in a year
- vii. कैंसर केयर ओपी : प्रति व्यक्ति को वर्ष में ₹1,50,000/- तक, जो वर्ष में प्रथम 5 व्यक्तियों के लिए सीमित हैं।
Cancer care OP: ₹1,50,000/- in a year per person limited to the first 5 persons
- viii. कैंसर केयर आईपी : प्रति व्यक्ति को वर्ष में ₹ 21,00,000/- तक, जो वर्ष में प्रथम 5 व्यक्तियों के लिए सीमित हैं।
Cancer care IP: ₹ 21,00,000/- in a year per person limited to the first 5 persons

2. पॉलिसी में शामिल सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए लागू मास्टर पॉलिसी के कुल सदस्यों के लिए 7,50,000 / - रुपए का कुल गंभीर बीमारी का संरक्षण एक वर्ष के लिए 4,00,00,000 / - रुपए के कॉमन कॉरपस फंड से लिया जाएगा, और कुल अतिरिक्त बीमारी संरक्षण और कैंसर संरक्षण से बढ़कर,

सामान्य गंभीर बीमारी की सीमा एक वर्ष में 1,00,00,000 / - कॉमन कॉरपस फंड से लिया जाएगा । अतिरिक्त गंभीर बीमारी और कैंसर कवर के तहत प्रति परिवार यूनिटों को ऊपर सूचित सीमाओं के साथ पहले 5 व्यक्तियों के लिए कॉमन कॉरपस फंड और अतिरिक्त संरक्षण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और उनके आश्रितों जो सभी श्रेणियों (सूची पर रहे कार्यपालक, पर्यवेक्षक, कामगार और सेवानिवृत्त कर्मचारियों) के लिए लागू ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी के अधीन बीमकृत है, को दिया जाएगा ।

The total critical illness cover of ₹7,50,000/- shall be met out of a Common Corpus Fund of ₹4,00,00,000/- for a year and, the total additional illness cover and cancer cover over and above the general critical illness limit shall be met out of a common corpus fund of ₹1,00,00,000/- in a year for the total members of the Master Policy applicable to all categories of employees included in the Policy. The common corpus fund and additional coverage for first 5 persons with aforementioned limits under the Additional Critical illness & Cancer Cover will be on first come first serve basis among all categories of employees and their dependants who are insured under the Group Mediclaim Policy, which is applicable for all categories (executives, supervisors, workmen on the roll and retired employees)

3. अधिकतम छह व्यक्तियां शामिल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की प्रति परिवार यूनिट को वर्ष 2019-20 के लिए ऊपर दिए गए बीमा राशि के लिए देय पूर्ण प्रीमियम 38,219 रुपए है ।

Full premium payable for the above sum assured for the year 2019-20 per family unit of retired employees covering maximum 6 persons is ₹38,219/-

4. इस संबंध में, कार्मिक एवं प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिनांक 16.01.2015 के पी एंड ए / 18 (175)/ 2009 के अनुसार, संबंधित सेवानिवृत्त चिकित्सा सहायता योजनाओं के अधीन शामिल सेवानिवृत्त कर्मचारी से अनुरोध है कि वे नीचे सूचितानुसार लागू प्रीमियम प्रेषित करें । In line with the Circulars No.P&A/18(175)/2009 dt. 16.01.2015 issued by P&A Dept. in this respect, retired employees covered under the respective post retirement medical assistance schemes are requested to remit the applicable premium, as indicated below.

मौजूदा लाभार्थियों द्वारा भुगतान किए जानेवाले प्रीमियम का विवरण Details of premium to be paid by the existing beneficiaries	राशि (₹.) Amt (Rs)
कामगार जो अधिवर्षिता पर दि. 01.04.2007 से पहले या सीएसएल में 15 वर्षों की सेवा के बाद वीआरएस/ वीपीआरएस के अधीन सेवानिवृत्त हुए थे। Workmen who retired prior to 01.04.2007 on superannuation or under VRS/VPRS after 15 years of service in CSL	100.00
कामगार जो अधिवर्षिता पर दि. 01.04.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे और जैसा भी मामला हो, एकमुश्त राशि के रूप में, एक बार नामांकन शुल्क के रूप में 50,000/- रुपए या 40,000/- रुपए अदा किया हो। Workmen who retired after 01.04.2007 on superannuation and paid the one time enrolment fee of Rs 50,000/- or Rs 40,000/- as the case may be lump sum	3,822.00
कामगार जो सीएसएल में 15 वर्षों की सेवा के बाद वीआरएस/ वीपीआरएस के अधीन 01.04.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे या इस्तीफा दिए थे या एक बार भुगतान के लिए विकल्प न चुना हो। Workmen who retired after 01.04.2007 under VRS/VPRS or resigned after 15 years service in CSL or not opted for one time payment	38,219.00
कामगार जो दि. 01.04.2007 से 01.05.2014 तक के बीच अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन एक बार के नामांकन शुल्क न अदा किया हो और प्रीमियम के 50% का भुगतान करके योजना में शामिल होना चाहते हैं। Workmen who retired on superannuation between 01.04.2007 and 01.05.2014 but did not pay onetime enrolment fee and wish to join scheme by paying 50% of premium	19110.00
पर्यवेक्षकों और अधिकारियों जो अधिवर्षिता पर दि. 01.01.2007 से पहले या सीएसएल में 15 वर्षों की सेवा के बाद वीआरएस/ वीपीआरएस के अधीन सेवानिवृत्त हुए थे। Supervisors and officers who retired prior to 01.01.2007 on superannuation or under VRS/VPRS after 15 years of service in CSL	100.00

